कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 168/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 03.05.2026

डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 03.05.2026 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी।

प्रेस नोट

थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़ | दिनांक– 03.05.2026

प्रतिबन्धित पशु के बरामद अवशेष प्रकरण का सफल अनावरण, 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस मुठभेड़ में अभियुक्त घायल, 01 अवैध असलहा व 03 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस बरामद

गिरोह द्वारा छुट्टा गोवंशीय पशुओं का वध कर मांस बेचने का खुलासा

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में सघन अभियान के तहत प्रभावी कार्यवाही

दिनांक 01.05.2026 को प्रभारी चौकी लोहरा उ0नि0 प्रमोद कुमार यादव मय हमराह को सूचना प्राप्त हुई कि ग्रीन पैराडाइज ढाबा के पीछे स्थित मिट्टी के भीटा (बहद ग्राम फखरुद्दीनपुर) पर प्रतिबन्धित पशु के सिर, खाल व अन्य अवशेष बोरे में बांधकर रखे हैं। सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंचकर पुलिस बल द्वारा अवशेष बरामद कर पशु चिकित्सा अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराया गया तथा शेष अवशेष को गड्ढा खुदवाकर जमीन में गड़वाया गया। उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में थाना मुबारकपुर पर मु0अ0सं0- 165/2026 धारा 3/5/8 उ0प्र0 गोवंशीय संरक्षण अधिनियम एवं धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई। विवेचना के दौरान अभियुक्त सलमान अहमद पुत्र मुश्ताक मुकादिम निवासी ग्राम खैराबाद थाना मोहम्मदाबाद जनपद मऊ उम्र लगभग 24 वर्ष का नाम प्रकाश में आया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में प्रतिबन्धित पशुओं की चोरी, तस्करी एवं वध के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 02.05.2026 को उ0नि0 प्रमोद कुमार यादव, उ0नि0 नीरज कुमार शुक्ला, उ0नि0 सौरभ सिंह एवं उ0नि0 अश्विनी कुमार मिश्रा मय हमराह क्षेत्र भ्रमण में थे कि सूचना प्राप्त हुई कि अभियुक्त दामोदरपुर मार्ग स्थित एक बाग में अपने साथियों का इंतजार कर रहा है तथा पुनः घटना कारित करने की फिराक में है एवं उसके पास अवैध असलहा भी है। सूचना पर पुलिस बल ने टीमों का गठन कर घेराबंदी की । मौके पर संदिग्ध व्यक्ति ने पुलिस बल को देखकर जान से मारने की नीयत से फायर करते हुए भागने का प्रयास किया । पुलिस द्वारा आत्मसमर्पण हेतु चेतावनी देने के बावजूद अभियुक्त द्वारा पुनः हमला करने का प्रयास किया गया, जिस पर पुलिस बल द्वारा आत्मरक्षार्थ नियंत्रित फायरिंग की गई, जिसमें अभियुक्त के **बाएं पैर में** गोली लगी। घायल अवस्था में अभियुक्त को दिनांक 03.05.2026 को समय करीब 00:58 बजे पुलिस हिरासत में लेकर उपचार हेतु सीएचसी मुबारकपुर भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान **सलमान अहमद पुत्र मुश्ताक मुकादिम निवासी ग्राम खैराबाद थाना मोहम्मदाबाद जनपद मऊ उम्र लगभग 24 वर्ष** के रूप में हुई, जिसके कब्जे से **01 अवैध असलहा, 03 जिन्दा कारतूस, 01 खोखा कारतूस, 01 मोबाइल फोन एवं ₹250/- नकद बरामद** हुआ। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना मुबारकपुर पर **मु0अ0सं0- 168/2026 धारा 109(1) BNS व धारा 3/25/27(1) आर्म्स एक्ट** पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि वह अपने साथियों के साथ मिलकर छुट्टा गोवंशीय पशुओं को पकड़कर उनका वध करता है तथा मांस को बेच देता है। दिनांक 01.05.2026 की रात्रि/भोर में अभियुक्त अपने जीजा व अन्य साथियों के साथ फखरुद्दीनपुर स्थित ग्रीन पैराडाइज ढाबा के पीछे भीटा पर अंधेरे का लाभ उठाकर एक लावारिस

पशु को पकड़कर वध कर रहा था। इसी दौरान आसपास लोगों की आहट मिलने पर अभियुक्त व उसके साथी वाहन मौके पर छोड़कर चापड़ आदि लेकर फरार हो गए थे।

इस सफल कार्यवाही में **उ0नि0 प्रमोद कुमार यादव, उ0नि0 नीरज कुमार शुक्ला, उ0नि0 सौरभ सिंह, उ0नि0 अश्विनी कुमार मिश्रा, हे0का0 अरविन्द सिंह, हे0का0 प्रकाश कुमार सिंह, का0 सर्वेश चौरसिया, हे0का0 राजधारी सिंह, हे0का0 पुरूषोत्तम सिंह, का0 सत्येन्द्र यादव, का0 श्यामनारायण सिंह, का0 सदानन्द, का0 शैलेन्द्र यादव, का0 कलामुद्दीन अंसारी, का0 बृजमोहन कन्नौजिया थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़** की सराहनीय भूमिका रही।

पूर्व की घटना- दिनांक- 01-05-2026 को प्रभारी चौकी लोहरा उ0नि0 प्रमोद कुमार यादव मय हमराह को सुचना प्राप्त हुई कि ग्रीन पैराडाइज ढाबा के पीछे स्थित मिट्टी के भीटा (बहद ग्राम फखरुद्दीनपुर) पर प्रतिबन्धित पशु का सिर, खाल व अन्य अवशेष बोरे में बांध कर रखे हैं। इस सूचना मौके पर पहुचकर पुलिस बल द्वारा बरामद शुदा प्रतिबन्धित पशु के अवशेष को पोस्टमार्टम एवं अन्य आवश्यक कार्यवाही हेतु पशु चिकित्सा अधिकारी को उपलब्ध कराकर शेष अवशेष को गड़ढा खुदवा कर जमीन में गड़वाया गया तथा उक्त के सम्बन्ध में थाना मुबारकपुर पर मु0अ0सं0- 165/2026 धारा 3/5/8 उ0प्र0गो0नि0अ0 तथा धारा 11 पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

दौरान विवेचना मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त सलमान अहमद पुत्र मुश्ताक मुकादिम निवासी ग्राम खैराबाद थाना मोहम्मदाबाद जनपद मऊ उम्र 24 वर्ष का नाम प्रकाश में आया।

गिरफ्तारी/मुठभेड़ का विवरण- **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डा0 अनिल कुमार के निर्देशन में प्रतिबन्धित पशुओं के चोरी, तस्करी एवं वध कर मांस बेचने जैसे अपराधों एवं अपराधियों पर नियंन्त्रण** लगाये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 02.05.2026 को उ0नि0 प्रमोद कुमार यादव मय हमराह, उ0नि0 नीरज कुमार शुक्ला मय हमराह, उ0नि0 सौरभ सिंह मय हमराह व उ0नि0 अश्विनी कुमार मिश्रा मय हमराह क्षेत्रभ्रमण के दौरान रोडवेज मुबारकपुर पर मौजूद थे कि सूचना प्राप्त हुयी कि मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आया अभियुक्त की दामोदरपुर जाने वाले मार्ग पर एक बाग में खड़ा है और अपने साथियों का इन्तजार कर रहा है, जो पुनः कई घटना कारित करने वाले है तथा उसके पास अवैध असलहा भी है। इस सूचना पर मौजूद पुलिस बल ने 03 टीमें बनाकर (प्रथम टीम- उ0नि0 प्रमोद कुमार यादव मय हमराह, उ0नि0 सौरभ सिंह मय हमराह, द्वितीय टीम- उ0नि0 नीरज कुमार शुक्ला मय हमराह व तृतीय टीम- उ0नि0 अश्विनी कुमार मिश्र मय हमराह) मौके पर पहुचे। मौके पर खड़े व्यक्ति ने पुलिस बल को अपने नजदीक आता देखकर जान से मारने की नियत से पुलिस बल को लक्ष्य कर फायर करते हुए भागने लगा। पुलिस बल द्वारा आत्मसमर्पण करने की पर्याप्त चेतावनी के बावजूद उक्त बदमाश ने पुनः पुलिस बल को जान से मारने की नियत से तमंचे तान दिया इस पर पुलिस बल द्वारा आत्मरक्षार्थ नियंत्रित फायरींग की गयी जिसमें बदमाश के बाँये पैर में गोली लगी जिसे आज दिनांक 03.05.2026 को समय करीब 00.58 बजे पुलिस हिरासत में लेकर उपचार हेतू सीएचसी मुबारकपुर ले जाया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान सलमान अहमद पुत्र मुश्ताक मुकादिम निवासी ग्राम खैराबाद थाना मोहम्मदाबाद जनपद मऊ उम्र 24 वर्ष के रुप में हुयी। **जिसके पास से 03 जिंदा कारतूस, 01 खोखा कारतूस, 01 मोबाइल फोन व 250/रू0 बरामद** हुए। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 168/2026 धारा- 109(1) BNS व धारा- 3, 25, 27(1) आर्म्स एक्ट थाना स्थानीय पर पंजीकृत कर अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण- घायल/गिरफ्तार अभियुक्त अपने साथियों के साथ मिलकर छुट्टा गोवंशीय पशुओं को पकड़कर वध करता हैं और मांश को बेचता हैं। दिनांक 01.05.26 की रात्रि को भोर में अभियुक्त अपने जीजा के साथ उसकी मोटर साइकिल से एवं अन्य साथियों के साथ फखरूद्दीनपुर में स्थित ग्रीन पैराडाइज ढाबा के पीछे स्थित भीटा पर अंधेरे का फायदा उठाकर लावारिश छुट्टा घुमने वाले पशु को पकड़कर वध कर मांश को बोरे व कपड़े मे भरकर ले जाने के लिए गाडी स्टार्ट ही कर रहा था कि लाइट देखकर कुछ लोग अभियुक्तो की तरफ आने लगे कि अभियुक्त व उसके साथी अपनी गाड़ियों को वही छोड़कर पैदल ही चापड़ व ठीहा झोले में लेकर भाग गये।

गिरफ्तारी/मुठभेड़ में सम्मिलित पुलिस बल-

उ0नि0 प्रमोद कुमार यादव, उ0नि0 नीरज कुमार शुक्ला, उ0नि0 सौरभ सिंह, उ0नि0 अश्विनी कुमार मिश्रा, हे0का0 अरविन्द सिंह, हे0का0 प्रकाश कुमार सिंह, का0 सर्वेश चौरसिया, हे0का0 राजधारी सिंह, हे0का0 पुरूषोत्तम सिंह, का0 सत्येन्द्र यादव थाना, का0 श्यामनारायण सिंह, का0 सदानन्द, का0 शैलेन्द्र यादव, का0 कलामुद्दीन अंसारी, का0 बृजमोहन कन्नौजिया थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़।